न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 37/2020

1. अनीता पत्नी मोहनलाल
2. मुरलीधर पुत्र रामसिंह
3. रामसिंह पुत्र चम्पालाल
4. मोहनलाल पुत्र रामसिंह
5. केशर देवी पत्नी रामसिंह
6. संजीव कुमार पुत्र रामसिंह
7. ज्योति पत्नी संजीव

जातियान–छीपी, निवासीयान–भगवती कॉलोनी वार्ड नं0 1 कस्बा–बयाना जिला भरतपुर

8. तुलसीराम पुत्र नैमीचन्द
9. ऊषा देवी पत्नी नैमीचन्द
10. नैमीचन्द शर्मा पुत्र देवीलाल
11. अनीता पत्नी नटवर लाल
12. नटवर पुत्र देवीलाल

जातियान–ब्राहम्ण, निवासीयान–शिव कॉलोनी वार्ड न0 01 कस्बा बयाना

13. संतोष पुत्र महाराज सिंह
14. राजवती पत्नी संतोष

जातियान–ठाकुर, निवासीयान–हरमुख नगर वार्ड नं0 1 कस्बा–बयाना जिला–भरतपुर राजस्थान।

15. विद्या देवी शर्मा पत्नी जगदीश प्रसाद शर्मा
16. जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र नीकेराम शर्मा
17. सुनीता पत्नी मुरारी लाल
18. मुरारीलाल पुत्र पूरन चन्द शर्मा
19. जीतेन्द्र पुत्र मुरारीलाल शर्मा
20. धीरज कुमार शर्मा पुत्र मुरारीलाल शर्मा
21. भलेष कुमार पुत्र भागीरथ प्रसाद
22. भारती शर्मा पत्नी भलेष शर्मा

जातियान–ब्राहम्ण, निवासीयान–भगवती कॉलोनी वार्ड नं0 1 कस्बा–बयाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:05:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

23. लक्ष्मी पत्नी देवीलाल

24. देवीलाल पुत्र मोहन सिद्वे

जातियान–धाकड़, निवासीयान भगवती कॉलोनी, वार्ड संख्या 1 कस्बा बयाना जिला भरतपुर (राज0)

.... अपीलांट्स

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) बयाना

.... रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ आदेश दिनांक.......................
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम)
बयाना ।

निर्णय **दिंनांक : 09.12.2020**

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस. डी.एम.), बयाना जिला भरतपुर दिनांक ....के पेश की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट्स वार्ड संख्या 01 बयाना में स्थाई निवास करते हैं। अपीलान्ट्स के आधार कार्ड ,राशनकार्ड ,परिचय पत्र ,भामाशाह व पुश्तैनी मकान वार्ड संख्या 01 के हैं, परन्तु विरोधियों ने अपीलान्ट्स के नाम मतदाता सूची से हटवा दिए गए हैं। अपीलान्ट्स ने प्रपत्र 03 मय दस्तावेज पेश किये थे, जिन पर बी0एल0ओ0, पटवारी व गिरदावर द्वारा नाम जोड़ने की अनुशंषा करने के बावजूद भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना ने बिना किसी कारण व आधार के आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया है। अपीलान्ट्स द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलान्ट्स के नाम वार्ड संख्या 01 कस्बा बयाना की मतदाता सूची में जोड़ने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से तहत पत्रावली व टिप्पणी तलव की गई, जो संलग्न मिसिल है।

पत्रावलियों का अवलोकन किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बयाना ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि अपीलान्ट्स वार्ड संख्या 01 के स्थाई निवासी नहीं हैं, और न ही वे वार्ड संख्या 01 में निवास करते हैं। अपीलान्ट्स के नाम अन्य स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Natthimal Didel
Date: 2021.02.26 15:05:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

दर्ज है। अपीलान्ट्स के द्वारा नाम जुडवाने बावत् नियम विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर खारिज किये गये हैं।

अपीलान्ट्स को वार्ड संख्या 01 कस्बा बयाना में आवासरत होना नहीं पाया गया है। अपीलान्ट्स के नाम अन्य स्थान की मतदाता सूची में होने से उनके नाम वार्ड संख्या 01 कस्बा बयाना की मतदाता सूची में जोडा जाना उचित नहीं हैं। **राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 09.11.2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि आवेदक के पूर्व में किसी अन्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम अंकित हो तो वर्तमान नगरपालिका निर्वाचक नामावली में नाम नहीं जोड़ा जा सकता है एवं किसी व्यक्ति का नाम दो स्थानों पर नहीं हो सकता।** ई0आर0ओ0 बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा विधिवत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है ।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09.12.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:05:54 IST
Reason: SelfAttested